


कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक: 482/ग्रा०अ०वि०/आई०टी०सेल/दिशा-निर्देश/पत्रा०सं०-9/२०१८-१६ दिनांक- 30-अक्टूबर, २०१८

१. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश।
२. समस्त अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश।
३. मुख्य अभियन्ता(पूर्वी/पश्चिमी)
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- लघु सेतु के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश।

अमानकीकृत भवन/लघु सेतु के निर्माण का प्राक्कलन गठन करने से पूर्व स्थल का मृदा परीक्षण एवं Structural Design प्रदेश के शासकीय Engineering College के Civil Engineering Department के विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही कराया जाये। विशेष परिस्थिति में यदि प्राइवेट संस्था से मृदा परीक्षण एवं Structural Design कराना अतिआवश्यक हो तो प्राइवेट संस्था से तैयार करायी गयी ड्राईंग एवं डिज़ाइन का किसी शासकीय Engineering College के Civil Engineering Department के Structural Engineering & Soil Mechanics के प्रोफेसर से अवश्य प्रति परीक्षित (Vet) करा लिया जाये।


(राम प्रकाश सिंह)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता।